

प्रेषक

निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कुस्क्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुना नगर ।

यादी क्रमांक: 4/6-90-सै0शि0151

दिनांक चण्डीगढ़: 7-5-1990

विषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

=====

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक जी-2/90/10 जमा 2-4506-515 दिनांक 8-3-90, पृष्ठों के क्रमांक जी-2/मूल-15020 दिनांक 9-3-90 यादी क्रमांक जी-1/90/1 दिनांक 6-4-90, यादी क्रमांक जी-3/90/1660 दिनांक 27-3-90, यादी क्रमांक जी-3/90/1606 दिनांक 21-3-90 पृष्ठों के क्रमांक जी-3/90/1917 दिनांक 5-4-90 तथा यादी क्रमांक जी-2/90/3675 दिनांक 10-4-90 के संदर्भ में ।

निम्नलिखित अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों की शैक्षिक वर्ष 1990-91 से 10 जमा 2 की शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. जैन हाई स्कूल, रेवाड़ी
2. जय राम दास कन्या उच्च विद्यालय, कैथल
3. श्री गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल, सन्तपुरा यमुना नगर
4. श्री जैनेन्द्र गुरुकुल हाई स्कूल पंचकुला अम्बाला
5. एस0बी0एन0डी0 कन्या उच्च विद्यालय, अम्बाला शहर
6. बी,डी, हाई स्कूल अम्बाला छावनी
7. एस0एम0 जनता हाई स्कूल बराड़ा अम्बाला
8. एस0ए0 जैन हाई स्कूल अम्बाला शहर
9. रैड रोज पब्लिक हाई स्कूल, यमुना नगर
10. सैन्ट्रल हाई स्कूल, कैथल

श्री जय राम दास कन्या उच्च विद्यालय, कैथल, एस0बी0 एन0एस0डी0 कन्या उच्च विद्यालय, अम्बाला शहर तथा सैन्ट्रल हाई स्कूल, कैथल को आर्ट और कार्मस ग्रुप तथा शेष सभी विद्यालयों को आर्ट, कार्मस तथा विज्ञान ग्रुप की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

प्रेषक

निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल
4. जिला शिक्षा अधिकारी, कुस्क्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुना नगर ।

यादी क्रमांक: 4/6-90-सै0शि0151

दिनांक चण्डीगढ़: 7-5-1990

विषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

=====

उपरोक्त विषय पर आपके यादी क्रमांक जी-2/90/10 जमा 21-4506-515 दिनांक 8-3-90, पृष्ठों के क्रमांक जी-2/मूल-15020 दिनांक 9-3-90 यादी क्रमांक जी-1/90/1 दिनांक 6-4-90, यादी क्रमांक जी-3/90/1660 दिनांक 27-3-90, यादी क्रमांक जी-3/90/1606 दिनांक 21-3-90 पृष्ठों के क्रमांक जी-3/90/1917 दिनांक 5-4-90 तथा यादी क्रमांक जी-2/90/3675 दिनांक 10-4-90 के संदर्भ में ।

निम्नलिखित अराजकीय मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों की शैक्षिक वर्ष 1990-91 से 10 जमा 2 की शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. जैन हाई स्कूल, रेवाड़ी
2. जय राम दास कन्या उच्च विद्यालय, कैथल
3. श्री गुरु नानक गर्ल्स हाई स्कूल, सन्तपुरा यमुना नगर
4. श्री जैनेन्द्र गुरुकुल हाई स्कूल पंचकुला अम्बाला
5. एस0बी0एन0डी0 कन्या उच्च विद्यालय, अम्बाला शहर
6. बी,डी, हाई स्कूल अम्बाला छावनी
7. एस0एम0 जनता हाई स्कूल बराड़ा अम्बाला
8. एस0ए0 जैन हाई स्कूल अम्बाला शहर
9. रैड रोज पब्लिक हाई स्कूल, यमुना नगर
10. सैन्ट्रल हाई स्कूल, कैथल

श्री जय राम दास कन्या उच्च विद्यालय, कैथल, एस0बी0 एन0एस0डी0 कन्या उच्च विद्यालय, अम्बाला शहर तथा सैन्ट्रल हाई स्कूल, कैथल को आर्ट और कार्मस ग्रुप तथा शेष सभी विद्यालयों को आर्ट, कार्मस तथा विज्ञान ग्रुप की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।